

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023

हाल ही में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पारित कर दिया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य रहन-सहन एवं व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023:

परिचय:

- इस अधिनियम में 19 मंत्रालयों/वभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉपीराइट, मोटर वाहन, सनिमैटोग्राफी, खाद्य सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनसे सार्वजनिक हित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और साथ ही उनके स्थान पर नागरिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है।

पृष्ठभूमि:

- यह अधिनियम 22 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद संसद की संयुक्त समितियों को भेजा गया था।

आवश्यकता:

- न्याय प्रणाली पर अनुचित दबाव को कम करने के लिए आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए।
- गंभीर दंड लगाए बिना तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक का समाधान करने के लिए।
- अपराध की गंभीरता और नरिधारित सजा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए।
- बाधाओं को दूर करके और अनुकूल कानूनी माहौल को बढ़ावा देकर व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

- यह अधिनियम कुछ प्रावधानों में कारावास की धाराओं और/अथवा जुर्माने को हटाने तथा कुछ अन्य मामलों में उन्हें दंड में बदलने का प्रावधान करता है।
- दंड का नरिधारण संबंधित मंत्रालयों/वभागों के नियुक्त नरिणायक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- यह अधिनियम कुछ प्रावधानों में अपराधों के शमन का भी व्यवस्था करता है, जिसका अर्थ है कि अपराधी न्यायालयी मुकदमे के बिना एक नरिचित राशि का भुगतान करके अपने मामलों का नपिटारा कर सकते हैं।
- इस अधिनियम में नरिदष्टि अधिनियमों में विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि के साथ प्रत्येक तीन वर्ष में जुर्माने और जुर्माने की आवधिक समीक्षा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम द्वारा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 जो कविर्तमान स्थिति में अप्रचलित और अप्रासंगिक है, को सभी संबंधित अपराधों एवं दंडों के साथ नरिसूत कर दिया गया है।

लाभ:

- प्रशासनिक न्यायनरिणयन तंत्र शुरू कर अधिनियम न्याय प्रणाली पर दबाव कम करता है, लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है और अधिक कुशल तथा प्रभावी न्याय वरिणयन की सुविधा प्रदान करता है।
- अधिनियम यह सुनिश्चित करके विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देगा कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के भय के बिना काम कर सकेंगे।

चर्चाएँ:

- जन विश्वास अधिनियम कारावास के स्थान पर जुर्माना या सजा का प्रावधान करता है जो अपराध से मुक्तिके लिए पर्याप्त नहीं है।
- वशिषज्जों का तर्क है कि अधिनियम 'अर्द्ध-अपराधीकरण (Quasi-Decriminalization)' का प्रतिनिधित्व करता है तथा वास्तविक गैर-अपराधीकरण को संस्थागत बनाने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नरिंत्रण) अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नरिणयन अधिकारियों की नियुक्तिको लेकर चर्चा जताई गई, ऐसी कानूनी कार्यवाही के लिए उनकी तकनीकी क्षमता पर सवाल उठाया गया।

वधियक में शामिल प्रमुख कानून:

- [भारतीय वन अधनियम, 1927](#)
- [वायु \(परदूषण की रोकथाम और नयितरण\) अधनियम, 1981](#)
- [सूचना परौदयोगिकी अधनियम, 2000](#)
- [परयावरण \(संरक्षण\) अधनियम, 1986](#)
- [कॉपीराइट अधनियम, 1957](#)
- [पेटेंट अधनियम, 1970](#)
- [रेलवे अधनियम, 1989](#)
- [खादय सुरकषा और मानक अधनियम, 2006](#)

सरोत: पी.आई.बी.

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jan-vishwas-amendment-of-provisions-bill-2023>

